संख्या-247/2019/4960/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 नवम्बर 2019

विषयः- मा0 न्यायालय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-31715/2019 धर्मेन्द्र कुमार नीरज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-11.11.2019 के अनुपालन में श्री धर्मेन्द्र कुमार नीरज की वर्ष 2017-18 में बी0टेक0 द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3041-42/स0क0/शिक्षा-अ/04/1330/2019-20 दिनांक-13.11.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 न्यायालय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-31715/2019 धर्मेन्द्र कुमार नीरज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-11.11.2019 के अनुपालन में श्री धर्मेन्द्र कुमार नीरज की वर्ष 2017-18 में बी0टेक0 द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 97,500/-(रूपये-सत्तान्वे हजार पांच सौ मात्र) के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय
सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-247/2019/4960(1)/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in